

कोर्टाच्या उपखण्ड अधिकारी सांगोद न्याय आपले
द्वारे केस मंजूर

18

विषय पुकरण संख्या 226/12 लालचन्द बनाम
मोंगीलाल जाति गुस्ताई दावा विद्धो करने हेतु

सहाय्य,

उपरोक्त उद्भवान के पुकरण में निवेदन है कि
कोर्टाच्या में उपखण्ड अधिकारी सांगोद में हम पक्षकाशन
लालचन्द बनाम मोंगीलाल जाति गुस्ताई निवासी भकडावद
दावा अलगत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. खण्ड
विज्ञाशहीन प्रसंगे हम भाइयो के बीज में आपसी
सहोता हो गया। अतः उक्त दावा को हम इसी
पर विद्धो (विद्धो) श्वास्त्रिय करवाना चाहते
अतः दावा वादी श्वास्त्रिय किया जावे

प्रमाण

लालचन्द
ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा. पं. मण्डाप
पं. स. सांगोद कोटा

पार्थी

लालचन्द
लालचन्द...